<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 188 / 17</u> संस्थापन दिनांक:-27 / 03 / 11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोज</u>न

वि रू द्व

संतोष पिता गोंडू यादव उम्र 35 वर्ष, निवासी बारंगवाड़ी, थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (निर्णय):-</u>

(आज दिनांक 28.03.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279 भा0दं०सं० एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 06.02.2017 को समय शाम करीब 07:15 बजे स्थान थाना आमला से 10 किलोमीटर पूर्व में ग्राम बोरी का चौराहा सारणी रोड आमला में मोटर सायिकल क. एमपी—48—एमएफ—6588 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त मोटरसायिकल को बिना लाईसेंस एवं बीमा के चलाया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 06.02. 2017 को शाम 7 बजे ठुटमुर शादी से उसके गांव सायिकल से वापस आ रहा था। तभी बोरी चौक के पास सारणी रोड पर सारणी तरफ से एक मोटर सायिकल क. एमपी—48—6588 के चालक ने उसकी मोटर सायिकल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी सायिकल को टक्कर मार दी जिससे वह गिर गया। गिरने से उसे सिर, नाक, पैर में चोट आयी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट को थाना आमला में देहाती नालसी क. 0/17 में पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात मोटर सायिकल क. एमपी—48—6588 के चालक के विरुद्ध असल अपराध क. 57/17 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से मोटर सायिकल क. एमपी—48—एमएफ—6588 को जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। एक्सरे रिपोर्ट में फेक्चर पाये जाने से एवं अभियुक्त

के पास ज्ञायविंग लायसेंस तथा वाहन बीमित न होने से अभियोग पत्र में धारा 338 भा.दं.सं. एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 338 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरूद्ध लगे धारा 279 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने मोटर सायकिल क. एमपी—48—एमएफ—6588 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने मोटर सायकिल क. एमपी—48—एमएफ—6588 को बिना लाईसेंस एवं बीमा के चलाया ?
- 3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का निराकरण

6 मनोहरी (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना एक दो माह पुरानी है। एक मोटरसायिकल चालक अपनी मोटर सायिकल से आया और उसके बाजू ने निकल गया जिससे वह गिर गया था एवं उसके नाक, मुंह में चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने 100 डायल फोन करके पुलिस को बुलाया था जो उसे अस्पताल आमला ले आयी थी जहां उसने प्रदर्श पी—1 की रिपोर्ट लेख करायी थी। अभियोजन का पूर्ण समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि दिनांक 06.02.2017 को एक

मोटरसायकिल क. एमपी-48-6588 के चालक द्वारा मोटर सायकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी सायकिल को टक्कर मारी थी जिससे वह नीचे गिर गया था। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि उसने गाडी का नंबर नहीं देखा था।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

7 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटर सायिकल क. एमपी—48—एमएफ—6588 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया। साथ ही अभियोजन यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को घटना स्थल पर अभियुक्त ही मोटर सायिकल चला रहा था। अतः ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को अपने वाहन क. एमपी—48—एमएफ—6588 को बिना बीमा व लायसेंस के चलाया। फलतः अभियुक्त संतोष को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 8 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।
- 9 प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क. एम.पी. —48—एमएफ—6588 उसके पंजीकृत स्वामी अभियुक्त संतोष पिता गोंडू यादव को प्रदान की जावे।
- 10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)